

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग -दो

गुरुवार, दिनांक 28 जनवरी, 2021 (माघ 8, 1942)

माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य की गिरफ्तारी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुंगेली की ओर से यह सूचना दी गई है कि -

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107, 116 के अधीन छत्तीसगढ़ विधान सभा के माननीय श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य को दिनांक 22.01.2021 को अपराह्न 4:40 बजे गिरफ्तार कर दिनांक 22.01.2021 को ही अपराह्न 4:52 बजे रिहा कर दिया गया।

चन्द्र शेखर गंगराड़े  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा.